भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2882

उत्तर देने की तारीखः 18.03.2025

पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए विनियामक परिषद

2882. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए चिकित्सा, कानूनी और अभियांत्रिकी व्यवसायों के समान एक विनियामक परिषद बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एमएसडब्ल्यू) और बैचलर ऑफ सोशल वर्क (बीएसडब्ल्यू) पेशेवरों को विनियमित करने के लिए ऐसी परिषद बनाने के लिए किसी प्रस्तावित ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पृथक पेशेवर परिषद की आवश्यकता के संबंध में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्य पेशेवरों, शैक्षणिक संस्थानों या संघों से कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में सामाजिक कार्य, शिक्षा और पेशेवर प्रेक्टिस की मान्यता, मानकीकरण और मान्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) क्या सरकार सरकारी और निजी क्षेत्रों में सोशल वर्क स्नातकों के लिए रोजगार के अवसरों, लाइसेंसिंग और करियर के रास्ते को बढ़ाने के लिए किसी नीतिगत हस्तक्षेप या वित्तीय सहायता पर विचार कर रही है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): जी, नहीं।

(ख): उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को समर्पित पेशेवर परिषद की आवश्यकता के संबंध में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्य पेशेवरों, शैक्षणिक संस्थानों या संघों से कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ड.): जी, नहीं।
